वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

दिनांक 06 जनवरी 2014 को आयोजित प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 87वीं बैठक दिनांक 06 जनवरी 2014 को अपरान्ह बाद 3.00 बजे विश्वविद्यालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रो0 विनय कुमार पाठक, कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने की एवं निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया:–

1.	प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एम0एम0 सालुखे कुलपति राज0 केन्द्रीय विश्वविद्यालय,किशनगढ, अजमेर	सदस्य
3.	श्री राजीव स्वरूप प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर।	सदस्य
4.	श्री मधुकर गुप्ता संभागीय आयुक्त जयपुर।	प्रतिनिधि वित्त सचिव
5.	प्रो0 श्रीमती मंजुलिका श्रीवास्तव आचार्य, दूरस्थ शिक्षा इंदिरा गांधी रा0 मु0 वि0वि0 दिल्ली ।	सदस्य
6.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
7.	डा0 अरविंद पारीक निदेशक (क्षे0 के0) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
8.	डा0 अशोक शर्मा कुलसचिव वमखुविवि,कोटा।	सचिव

प्रो0 प्रदीप साहनी ,ई0गा0रा0मु0वि0, नई दिल्ली अपरिहार्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

प्रो0 अशोक शर्मा, कुलसचिव ने समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया । तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों प्रो0 मंजुलिका श्रीवास्तव, प्रो0एल0आर0 गुर्जर एवं डॉ0 अरविंद पारीक का परिचय करवाया एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। आवश्यक गणापूर्ति के पश्चात् विधिवत बैठक प्रारम्भ की गई ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने पिछले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवीन कार्यों के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए नये अकादमिक कार्यक्रमों, पुस्तकालय एवं शोध की नयी वेबसाईट , विडियो लेक्चर, ऑनलाईन/ऑन डिमांड पाठ्य–सामग्री, छात्र संख्या एवं अध्ययन केन्द्रों में अभिवृद्धि, बॉसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जनजाति क्षेत्र में कम्प्यूटर अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के बारे में सदन को अवगत करवाया । इसके साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन, आवक–जावक कार्य का केन्द्रीकरण, विश्वविद्यालय का कुल–गीत एवं ध्वज तैयार करने, प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद के निर्णयों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने, आर0के0सी0एल0 की परीक्षा के साथ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं समय पर आयोजित एवं परिणाम घोषित, उपाधि प्रमाणीकरण हेतु सेक्युरिटी फिचर्स, डी0पी0आर0 के माध्यम से क्रय व्यवस्था, छात्र समस्या निवारण हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों पर केम्प आयोजन, विश्वविद्यालय परिसर में ए0टी0एम, , गेस्ट फेकल्टी की नियुक्ति, व्याख्यान श्रंखला, रेडियो काउन्सलिंग, पुर्नमूल्यांकन एवं साइंस लेब प्रारंभ करने के बारे में भी सदन को अवगत करवाया गया। उपस्थित समस्त सदस्यों ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर पर संतोष व्यक्त किया।

तत्पश्चात् प्रबंध मण्डल की कार्यसूची की बिन्दुवार चर्चा की गई एवं निम्न निर्णय लिए गए।

87/01 प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक दिनांक 25.06.13 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

87/02 प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक के निर्णयों के क्रम में हुई संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर नोट किया गया। सदन के समक्ष यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया कि निर्णय संख्या 86/14 की पालना में राज्य सरकार द्वारा पुस्तकलायध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पदों को अन्य पदों में परिर्वतित करने से इंकार करते हुए नये पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

सदन ने इस संदर्भ में निर्णय लिया कि पुस्ताकालयाध्यक्ष का पद प्रोफेसर की ग्रेड का है इसलिए इस पद को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एक पद सिस्टम एनालिस एवं डिजाइन मैनेजर तथा एक पद प्रोग्रामर (कुल दो पद)के सृजन का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए तथा सहायक पुस्तकालय के पद को भरने पर से स्थगन (एबेयेंस) हटाने हेतु भी राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए।

87/03 विद्या परिषद की 46 वीं बैठक दिनांक 11 सितंबर 2013 एवं 47वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2013 के कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।

विद्या परिषद की 46 वीं बैठक दिनांक 11 सितंबर 2013 एवं 47वीं बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2013 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

87/04 वित्त समिति की 51वीं बैठक दिनांक 26.09.2013 के कार्यवाही विवरण का माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8.4 में प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया अनुमोदन सूचनार्थ।

वित्त समिति की 51वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8.4 में प्रदत्त शक्तियों के तहत किये गये अनुमोदन की कार्यवाही को सदन द्वारा नोट किया गया।

87/05 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 में राज्य विधानसभा द्वारा किए गए संशोधन अवलोकनार्थ।

सदन ने राज्य विधान–मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में किए गए संशोधनों को नोट किया तथा एक समिति का गठन कर विश्वविद्यालय अधिनियम, अध्यादेश तथा संविधि का अध्ययन करके नवीन संशोधनों के अनुरूप विश्वविद्यालय अधिनियम की पुस्तिका का प्रारूप तैयार करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही, वर्तमान में प्रचलित अधिनियम, अध्यादेश एवं संविधि के प्रावधान यदि नवीन संशोधनों से आच्छादित हो रहे हैं तो वे स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे लेकिन इस आशय की सूचना महामहिम राज्यपाल महोदया को आवश्यक रूप से भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त कार्य को सम्पादित करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया गया।

1. श्री योगेश शर्मा , सह आचार्य, विधि
2. डॉ रजनी रंजन सिंह, सह आचार्य, शिक्षा
3. श्री एन0एल0 चाण्डक, उपकुलसचिव, विधि — सदस्य सचिव

87/06 अधिकारियों एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर सेवाऐं स्थाई किए जाने का प्रस्ताव।

अधिकारियों एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर सेवाऐं स्थाई किए जाने का अनुमोदन किया गया साथ ही निर्णय लिया गया कि भविष्य में परीवीक्षाधीन शिक्षकों, अधिकारियों एवं निदेशकों की सेवाएं यदि परीवीक्षा अवधि में संतोषजनक पायी जाती है तो उनको स्थायी करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है।

87/07 सहायक कुलसचिव के नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव।

सहायक कुलसचिव के छः नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

87/08 विश्वविद्यालय कार्मिकों को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पांचवें वेतनमान में 5000–8000 के स्थान पर वेतनमान 5500–9000 प्रदान किए जाने के फलस्वरूप वेतन की अंतर राशि (ऐरियर राशि)का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव।

ऐरियर राशि के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा उपरांत सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। चूंकि राज्य विधान मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है, अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के नवीन वित्तीय दायित्व के निर्वहन से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रस्तावानुसार ऐरियर के भुगतान से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए जाने का निर्णय किया गया।

87/09 विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारियों को 09 वर्ष की सेवा पर कनिष्ठ लिपिक के पद का वेतन प्रदान करने के परिणामस्वरूप अंतर राशि (ऐरियर) का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव।

ऐरियर राशि के भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा उपरांत सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। चूंकि राज्य विधान मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है, अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के नवीन वित्तीय दायित्व के निर्वहन से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रस्तावानुसार ऐरियर के भुगतान से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए जाने का निर्णय किया गया।

87/10 केन्द्रीय पुस्तकालय में संविदा के आधार पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रस्तावानुसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पे माइनस पेंशन के आधार पर नियुक्त किए जाने का निर्णय किया गया।

87/11 विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों को पे माइनस पेंशन पर पुर्ननियुक्त करने का प्रस्ताव।

सेवानिवृत्त अधिकारियों को पे माइनस पेंशन पर पुर्ननियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया।

87/12 विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में आधारभूत परिर्वतन करने तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर कार्य कर रहे अन्य विश्वविद्यालयों से इस विश्वविद्यालय का तुलनात्मक मूल्यांकन कर अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति के क्रम में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

रिपोर्ट को अनुमोदित करते हुए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने का निर्णय किया गया।

87/13 विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक आचार्य (बॉटनी, वाणिज्य एवं शिक्षा) को सी.ए.एस. में स्टेज–1 से स्टेज–2 का लाभ प्रदान करने हेतु गठित समिति की अभिशंसाऐं अवलोकन एव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक आचार्यो (बॉटनी, वाणिज्य एवं शिक्षा) को सी.ए.एस. में स्टेज–1 से स्टेज–2 का लाभ प्रदान किए जाने हेतु गठित समिति की सिफारिशों को

अनुमोदित करते हुए डा0 अनुराधा शर्मा को बॉटनी, डा0 अनुरोध गोधा को वाणिज्य एवं डा0 कीर्ती सिंह को शिक्षा में सहायक आचार्य पद पर स्टेज–1 से स्टेज–2 का लाभ दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

87 / 14 विभिन्न पदों के चयन हेतु दिनांक 04 जनवरी 2014 एवं 5 जनवरी 2014 को आयोजित हुयी चयन समितियों की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र एवं निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पदों हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं होने के कारण चयन प्रक्रिया एवं अंको के विभाजन बाबत प्रो0 पी0के0 शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। गठित समिति द्वारा सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र के लिए अधिकतम प्राप्तांक अभ्यर्थी का 100 परसेंटाईल मानने एवं निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के अभ्यर्थियों को 20 बोनस अंक प्रदान कर न्यूनतम 50 प्रतिशतांक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने की अनुशंसा को सदन के पटल पर रखा गया एवं इसकी सहमति प्राप्त की गई। सदन ने इस कार्यवाही पर अपनी सहमति प्रदान की तत्पश्चात् सदन के पटल पर प्रस्तुत विभिन्न चयन समितियों की अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया गया, सदन द्वारा पटल पर प्रस्तुत निम्नलिखित चयन समितियों की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गयाः–

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम
01	सहायक आचार्य (ज्योग्राफी)	डा0 आलोक चौहान
02	सहायक आचार्य (फिजिक्स)	श्री सुशील राजपुरोहित
03	सहायक आचार्य (कंप्युटर सांइस)	डा0 हरीश शर्मा
04	सहायक आचार्य (गणित)	श्री रवि गुप्ता
05	सहायक आचार्य (समाजशास्त्र)	डा0 निधि बंसल
06	सहायक आचार्य (शिक्षा)	श्री अखिलेश कुमार
07	सहायक आचार्य (संस्कृत)	डा0 कपिल गौतम
08	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र	1. डा0 अवनीश चंद्र मिश्र 2. डा0 मनोज कुमार सिंह छंगाणी
09	उप कुलसचिव	1. श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह 2. श्री विपिन कुमार द्विवेदी

सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र एवं सहायक आचार्य, सामाजिक कार्य के पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाया गया।

विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विषय के अन्तर्गत विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए एक पद सहायक आचार्य रसायन शास्त्र का सृजित किए जाने पर सदन ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि सामाजिक कार्य विषय में अवस्थित सहायक आचार्य के पद को रसायन शास्त्र विषय में परिर्वतित कर दिया जाये, क्योंकि समाजशास्त्र विषय में एक सहायक आचार्य नियुक्त हो गया है इसलिए सामाजिक कार्य विषय में अब इस पद की उपयुक्त उपयोगिता नहीं रही है, समाजशास्त्र विषय का सहायक आचार्य ही सामाजिक कार्य विषय का कार्य देख सकता है। इसलिए सामाजिक कार्य विषय के सहायक आचार्य के पद को रसायन शास्त्र विषय के सहायक आचार्य पद में परिवर्तित कर दिया जाए।

87/15 विषय संयोजक/प्रभारी की व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्या परिषद के निर्णयानुसार ज़ारी आदेश क्रमांक 16346 दिनांक 07.12.13 पुष्टि हेतु प्रस्ताव।

विषय संयोजक/प्रभारी की व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेश की पुष्टि की गई।

87/16 गत बैठक के बाद जारी किए गए आदेश सूचनार्थः—

1. सहायक कुलसचिव एवं सचिव कुलपति सचिवालय के पद पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षु अवधि पूर्ण करने पर इन्हें प्रदत्त नियमित वेतन श्रृंखला के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 10871 दिनांक 20.11.2013 अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।
2. निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों के पद पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षु अवधि पूर्ण करने पर इन्हें प्रदत्त नियमित वेतन श्रृंखला के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक 10892 दिनांक 20.11.2013 अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।
3. राज्य सरकार के आदेश के क्रम में वि0वि0 के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किए जाने सम्बन्धी आदेश क्रमांक 15828 दिनांक 14. 11.2013 ।

जारी किए गए उक्त तीनों आदेशों को सदन द्वारा नोट किया गया। तदुपरांत सदन के यह भी ध्यान में लाया गया कि प्रबंध मंडल की 85वीं बैठक के निर्णय संख्या 07 के तहत ई0पी0बी0एक्स0 प्रकरण सम्बन्धी निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया था, जिस क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विधिक राय प्राप्त कर निम्नानुसार कार्यवाही की गईः—

1. दोनों कार्मिकों (श्री सी0पी0 मेघवाल एवं श्री ओम प्रकोश गुप्ता) निलंबित किया गया।
2. दोनों कार्मिकों को आरोप पत्र जारी कर कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की जांच समिति गठित की गई।जांच सिमिति की अनुशंषा के आधार पर श्री सी0पी0 मेघवाल एवं श्री ओम प्रकोश गुप्ता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए प्रत्येक कार्मिक से 22050/— रूपये की एक मुश्त वसूल किए जाने का दंड निर्धारित करते हुए बहाली के आदेश जारी किए गए।

सदन द्वारा उक्त कार्यवाही को अनुमोदित करते हुए प्रकरण को समाप्त किए जाने का निर्णय किया गया।

87/17(1) सहायक आचार्य योग एवं स्वास्थ्य के पद पर भर्ती हेतु संशोधित योग्यता का प्रस्ताव अवलोकनार्थ।

सहायक आचार्य योग एवं स्वास्थ्य के पद पर भर्ती हेतु संशोधित योग्यताओं का अनुमोदन किया गया।

87/17(2) प्रो0 टी0 एन0 भारद्वाज पूर्व कुलपति वमखुविवि, द्वारा वि0वि0 को उनके द्वारा प्राप्त उपकरण वि0वि0 को भेंट करने एवं प्रो0 टी0एन0 भारद्वाज की मानद सेवाऐं अम्फिबियन बायोलाजी पर विशिष्ट शोध केन्द्र स्थापित करने हेतु बिना किसी वित्तीय प्रावधानों लिए जाने का प्रस्ताव।

प्रो0 भारद्वाज द्वारा उपकरण भेंट किए जाने एवं मानद सेवाऐं निशुल्क दिए जाने के प्रस्तावों की सराहना करते हुए उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

87/17(3) श्री राकेश शर्मा सहायक आचार्य (निलंबित) के पुनः सेवा में बहाल किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार का प्रस्ताव।

सदन द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विचारविमर्श कर यह निर्णय किया कि चूंकि प्रकरण ए0सी0डी की प्रक्रिया में विचाराधीन है, अतः इनको अभी बहाल किया जाना उचित नहीं है, परंतु निलंबनकाल में उनको वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से अलग रखते हुए पठनपाठन सम्बन्धी सामान्य कार्य इनसे करवाया जा सकता है। साथ ही , इनके सम्पूर्ण प्रकरण को राज्य सरकार को भेजकर इनकी बहाली के संदर्भ में दिशा निर्देश प्राप्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया।

87/17(4) परामर्शदाता/गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये नियमों का अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

कार्यसूची के साथ संलग्न नियमों का अवलोकन कर इन्हें अनुमोदित किया गया।

87/17(5) निदेशक, योजना एवं विकास विभाग के पद पर चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

प्रबंध मंडल की 86वीं बैठक के निर्णय संख्या 86/18(8) में निदेशक, योजना एवं विकास के अनुमोदित पैनल को अद्यतन कर नवीन नामों के साथ पुनः प्रस्तुत किये गये पैनल का अनुमोदन किया गया।

87/17(6) द्वितीय शनिवार के अवकाश संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन।

सदन ने प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत द्वितीय शनिवार के अवकाश संबंधी नियमों का अवलोकन करने हेतु निर्देशित किया। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के अवकाश संबंधी नियमों का तुलनात्मक चार्ट बनाकर आगामी प्रबंध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त घोषित की गई।

कुलसचिव
एव सचिव(प्रबंध मंडल)